

न्यायालय श्रीमान, राजस्व मंडल म०प० ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा

R/4001/III/2014



श्री आनंद हास अफत

द्वारा वेग/12-11-14

श्री

शशिकुमार उर्फ वटन हलवाई तनयत्वं श्री, जगदीशप्रसाद हलवाई उम्र वर्ष ६३ जातीय राजगार निवासी उपरहटी तह० हुजूर जिला रीवा म०प० -- -- -- -- आवेदक/निगरानी कर्ता

वनाम

साक्षन म०प० -- -- -- -- अना०/गिर निगरानी कर्ता निगरानी विरुद्ध आदेश तहसीलदार महोदय नजूल रीवा म०प० के सी माकन पुरकरण 17/अ 12/01-12 शशिकुमार वि०साक्षन म०प० पारित आदेश 30/11/13 निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प० ग्वालियर 1959 ई०

487 / 12-11-14

3762  
रजस्व मंडल म०प० ग्वालियर  
द्वारा वेग/12-11-14

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नांकित है:-----

- 1। यहकि प्लॉट नं० 4503/1, 4503/2 रक्बा कक्षा: 124 वर्गफिट 312 वर्गफिट कुल रक्बा 436 वर्गफिट मुहल्ला उपरहटी तह० हुजूर जिला रीवा मे स्थित है जिसका मालिक भूमिस्वामी आवेदक/निगरानीकर्ता है।
- 2। यहकि आवेदक/ निगरानीकर्ता उक्त भूमि प्लॉट नं० 4503/1 4503/2 रक्बा 436 वर्गफिट के सी माकन वावत अन्तर्गत धारा 129 म०प० ग्वालियर 1959 ई० का प्रस्तुत किया था नजूल तहसीलदार महोदय रीवा के सक्ष 22/8/12 को प्रस्तुत किया था।
- 3। यहकि दिनांक 26/3/13 को मौके से रा०नि० ने नाप किया तथा स्थल पंचनामा व नजरी नक्शा तैयार कर दिनांक 20/3/13 को नजूल तहसीलदार महोदय रीवा के सक्ष प्रस्तुत किया तथा यह लेख किया कि पंचनामीन क्षेत्र का नक्शा उपलब्ध नहीं है स्थल पर अधिसूचना अनुसार नाप की गई

शशिकुमार


(163)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक २५००१-अ/२०१४ ..... जिला रीवा .....

..... श्री श्री कुमार उर्फ बहन हलवाई विरुद्ध रु. उ. धामन .....

1	2	3
<p>181218</p>	<p>1. आवेदक की ओर से श्री <u>श्री. श्यामलदास शुक्ला</u>.. अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार/ <del>नायब तहसीलदार</del> तहसील <u>त. प्र. त.</u> के प्रकरण क्रमांक <u>१३/३१/२०१२</u>..... में पारित आदेश दिनांक <u>३०-११-२०१३</u>..... के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म०प्र० भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर <u>रीवा</u>..... के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक <u>०७-०३-२०१९</u> को कलेक्टर, <u>रीवा</u>..... के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p>	<p> सदस्य</p>

